

UPGK010001922025



न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), गोरखपुर।

उपस्थित: सिद्धार्थ सिंह (एच. जे. एस.) J.O. Code-UP6318

सत्रवाद संख्या-177/2025

राज्य..... बनाम.....हसीना खातून

मु०अ०सं०-930/2021

अन्तर्गत धारा-135(1)(सी) विद्युत अधिनियम, 2003

थाना-एंटी पावर थेफ्ट शाहपुर, जनपद-गोरखपुर।

राष्ट्रीय लोक अदालत

1. पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।
2. अभियुक्ता हसीना खातून के विरुद्ध पुलिस थाना-एंटी पावर थेफ्ट शाहपुर, जनपद-गोरखपुर द्वारा मु०अ०सं०-930/2021, अन्तर्गत धारा-135(1)(सी) विद्युत अधिनियम, 2003 का आरोप पत्र विचारण हेतु प्रेषित किया गया है।
3. संक्षेप में अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 20.04.2021 को समय 12:41 बजे प्रथम सूचनाकर्ता शशिकान्त यादव प्र०नि० प्रवर्तन दल नगर गोरखपुर टीम द्वारा नियम जंगल मातादीन सरस्वती पूरम थाना-शाहपुर, जनपद-गोरखपुर में स्थित आपके मकान/परिसर का निरीक्षण/चेकिंग किया गया तो पाया कि आपके द्वारा अपने ऊर्जा मीटर से पहले सर्विस केबिल को काटकर दो कोर का तार से बाईपास कर अवैध रूप से विद्युत का उपभोग किया जा रहा था, जो विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-135(1)(सी) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
4. प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना-एंटी पावर थेफ्ट शाहपुर, जनपद-गोरखपुर में अपराध संख्या-930/2021 पर धारा-135(1)(सी) विद्युत अधिनियम के अपराध के अन्तर्गत अभियुक्ता के विरुद्ध चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गयी जिसका इन्द्राज जी०डी० मुकदमा कायमी में किया गया।
5. विवेचक द्वारा मामले की विवेचना की गयी। विवेचक द्वारा गवाहान व अभियुक्ता के बयान अंकित किये गये, घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी तैयार किया गया तथा सम्पूर्ण विवेचनोपरान्त अभियुक्ता के विरुद्ध धारा-135(1)(सी) विद्युत अधिनियम के अपराध के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
6. अभियुक्ता को विचारण के लिये आहूत किया गया। अभियुक्ता न्यायालय में उपस्थित आयी तथा उसे धारा-207 दं०प्र०सं० के अधीन स्वच्छ एवं पठनीय अभियोजन प्रपत्रों की आवश्यक नकले प्रदान की गयीं।
7. अभियुक्ता की उपस्थिति में अभियुक्ता के विरुद्ध दिनांक 19.12.2025 को धारा-135(1)(सी) विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विचरित किया गया, जिससे उसने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।
8. अभियोजन की ओर से पी०डब्ल्यू०-1 के रूप में अभिषेक कुमार, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, राप्तीनगर, गोरखपुर को परीक्षित कराया गया है तथा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, गोरखपुर द्वारा निर्गत पत्र दिनांकित 19.12.2024 को **प्रदर्श क-1** के रूप में साबित किया गया है।

9. विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया।
10. अभियुक्ता पर आरोप है कि अभियुक्ता द्वारा अपने ऊर्जा मीटर से पहले सर्विस केबिल को काटकर दो कोर का तार से बाईपास कर अवैध रूप से विद्युत का उपभोग किया जा रहा था।
11. दौरान विचारण पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत वितरण खण्ड, राप्तीनगर, गोरखपुर के अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रेषित पत्र इस न्यायालय को प्राप्त कराया गया जो पत्रावली पर विद्यमान है। उक्त पत्र अभियुक्ता के विरुद्ध निर्धारित राजस्व के साथ शमन शुल्क की राशि प्राप्त किये जाने के संबंध में है।
12. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान मामले में दिनांक 11.03.2026 को अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, राप्तीनगर, गोरखपुर पी०डब्लू०-1 के रूप में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सशपथ कथन किया गया कि अभियुक्ता के द्वारा अपना समस्त बकाया राजस्व धनराशि तथा शमन शुल्क का भुगतान कर दिया है। भुगतान के संबंध में दिनांक 19.12.2024 को पत्रांक सख्या-4004 मेरे विभाग से पूर्व अधिकारी के हस्ताक्षर में जारी किया गया है जो मेरे द्वारा सत्यापित है, जो पत्रावली में शामिल है, जिसपर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसकी मैं पहचान करता हूँ, जिसपर प्रदर्श क-1 डाला गया।
13. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-152 के अन्तर्गत जहाँ उपभोक्ता एवं विद्युत विभाग के मध्य कोई सुलह समझौता हो गया है और मामले का शमन कर दिया गया है, तो ऐसे शमन का प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगी। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-135(1)(सी) का अपराध एक शमनीय अपराध है। विद्युत अधिनियम की धारा-152 के अन्तर्गत विद्युत विभाग ने अभियुक्ता के इस अपराध का शमन कर दिया है। विद्युत अधिनियम की धारा-152 यह भी उपबंधित करती है कि जहाँ इस निम्न सशक्त अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अनुसार शमन शुल्क स्वीकार कर लिया गया है तो इसका प्रभाव दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-300 के अन्तर्गत दोषमुक्ति समझा जायेगा।
14. प्रस्तुत मामले में शमन शुल्क अदा कर दिया गया है तथा अपराध का शमन कर दिया गया है। अतः अभियुक्ता धारा-135(1)(सी) विद्युत अधिनियम, 2003 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्ता हसीना खातून को सत्रवाद सं०-177/2025 मु०अ०सं०-930/2021, थाना-एंटी पावर थेफ्ट शाहपुर, जनपद-गोरखपुर के मामले में उसपर आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा-135(1) (सी) विद्युत अधिनियम, 2003 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्ता हसीना खातून जमानत पर है। उसके व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उसके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांक-14.03.2026

(सिद्धार्थ सिंह),
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(ई०सी० एक्ट), गोरखपुर।
J.O. Code-UP6318

आज यह निर्णयादेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक-14.03.2026

(सिद्धार्थ सिंह),
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(ई०सी० एक्ट), गोरखपुर।
J.O. Code-UP6318